न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ.रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 05/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– श्यामसिंह परिहार पुत्र. कानसिंह परिहार निवासी म.नं. 495, आनन्द निकेतन शिवनगर, दूसरी गली, महामंदिर रेलवे स्टेशन के पीछे, जोधपुर।		1– रजनीश परिहार पुत्र श्यामसिंह परिहार वर्तमान पता BARCLAYS BANK PLC 601/603 " CEEJAY-HOUSE" SHIVSAGAR ESTATE, Dr. A. BESANT ROAD, WORLI, MUMBAI-400018 स्थाई पता– 2301, C-TOWER LAKSHCHANDI-HEIGHTS, GOKUL DHAM, GOREGAO - EAST MUMBAI-400018

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.17 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा प्रकरण सं0 19/16 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 22.11.2017

1– अपीलार्थी स्वयं
2– प्रत्यर्थी सं0–1 स्वय

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 व 5 के तहत पेश करते हुए 20,000/–प्रतिमाह भरण पोषण देने का उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.08.2017 को स्वीकार करते हुए प्रतिमाह 7000/–रूपये भरण पोषण के रूप में प्रार्थी को दिये जाने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये

प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष–एक स्वयं दिनांक 15.11.17 को उपस्थित होकर लिखित बहस पेश की एवं इसी दिन को उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि वह 75 वर्ष एवं उसकी पत्नी 73 वर्ष आयु के है एवं दोनों वृद्धावस्था के कारण बिमारियो से ग्रसित है। अपीलार्थी को हार्ट की बिमारी है एवं उसे हरनिया का इलाज कराने की भी सलाह दी गई है, अपीलार्थी की पत्नी भी हार्ट पेशन्ट है। अपीलार्थी पूर्व में बम्बई किराये की बिल्डिंग में रहते थे परन्तु विपरीत परिस्थितियांवश जोधपुर किराये के मकान में निवास कर रहे है एवं जोधपुर में 4000/–रूपये प्रतिमाह किराया चुकाया जाता है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में आगे बतलाया कि मकान मालिक दयाभाव दिखाकर भोजन पानी की व्यवस्था अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी को कर रखी है। प्रत्यर्थी बड़े संस्थान में नौकरी करता है तथा मुम्बई में करीब 2.40 करोड़ का फ्लेट खरीद रखा है तथा अनुमानतः उसकी दस से बीस लाख रूपये वार्षिक पेकेज पर वेतन प्राप्त कर रहा है। बहस में आगे यह भी बतलाया कि प्रत्यर्थी द्वारा माह मई 20016 तक 7000/–रूपये अपीलार्थी को जीवनयापन हेतु एकांउट में जमा कराता रहा, परन्तु जून, 2016 से आदिनांक तक 7000/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से गुजारा भत्ता देना बाकी है जो शीघ्र दिलाया जाय। बहस के अन्त में 20 से 25 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता एवं ईलाज कराने का खर्चा दिलाये जाने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष ने बहस में बतलाया कि उसके परिवार में 4 सदस्य (स्वयं, पत्नी व 2 बच्चे) है तथा वो अकेला ही कमाता है। उसके दोनों बच्चे पढाई कर रहे है। उसके गृह ऋण लिया हुआ है तथा करीब 58.00 लाख रूपये सेवानिवृत होने तक जमा करायेगा। बहस में यह भी कहा कि मेरे पिताजी मुझे ब्लेकमेल करते है तथा जानबूझकर मुझे कानूनी नोटिस, कोर्ट नोटिस/समन मेरे घर के पत्ते पर नहीं भेजकर ऑफिस पते पर भिजवाते है तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंधित उक्त अधिनियम का दुरूपयोग करते है। बहस में यह भी बतलाया कि मेरे माता पिता ने करीब 620.00 ग्राम सोना मोरगेज रखकर 14.00 लाख रूपये का ऋण लिया है। मेरे पिताजी ने पारिवारिक सम्पति जो जोधपुर में स्थित थी उसमें भी हिस्सा प्राप्त किया वो भी उनके पास है तथा कुछ हिस्सा मेरी बहिन सोना खन्ना को देना बताया गया। बहस में यह भी कहा कि वो 7000/–रूपये भुगतान कर रहा है तथा उसके द्वारा लिये गये ऋण की अदायगी भी प्रतिमाह कर रहा है अतः मात्र प्रत्यर्थी को परेशान व ब्लेकमेल करने की नियत से उसके पिता द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण के मूल अभिलेख एवं अधिनियम का अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष ने अपील में मुख्य रूप से भरण पोषण भत्ता प्रतिमाह रूपये 25000/– एवं ईलाज हेतु एक लाख रूपये दिलवाने की प्रार्थना की गई। राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 14 में अधिकतम दस हजार रूपये भरण पोषण भत्ता देने का प्रावधान दिया हुआ है। अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी)

जोधपुर के समक्ष सुनवाई के दौरान अप्रार्थी/प्रत्यर्थीपक्ष के कथनानुसार उसे प्रतिमाह करीब 2.50 लाख की आय हो रही है। प्रत्यर्थीपक्ष की यह भी स्वाकारोक्ति है कि वो अपने माता पिता को प्रतिमाह 7000/–रूपये अदा करता आ रहा था। प्रत्यर्थीपक्ष ने अपील अधिकरण के समक्ष बतलाया कि उसने आवास ऋण लिया है तथा करीब 58.00 लाख रूपये सेवानिवृत होने तक चुकायेगा, परन्तु माता पिता का भरण पोषण करने का भी दायित्व भी उनका बनता है। यह भी सही है कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी जोधपुर शहर में किराये के मकान में रह रहे है तथा दोनों की वृद्धावस्था देखते हुए एवं प्रत्यर्थीपक्ष की आय प्रतिमाह 2.00 लाख रूपये से अधिक होने से न्यायहित में अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थीपक्ष को भरण पोषण भत्ता प्रतिमाह 10,000/–रूपये देने के आदेश दिया जाता है। प्रत्यर्थीपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के बैंक खाते में प्रतिमाह 5 तारीख तक भरण पोषण भत्ता राशि जमा करायेगा, यदि इस नियत तारीख तक जमा नहीं कराने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज के रूप में अलग से अदा करेगा। आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।